तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.7.24	वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 6/2018 व 10/2018 की तलबी हेतु समय चाहा। इन्हें पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं और तीन बार अंतिम अवसर भी न्यायहित में प्रदान किये जा चुके हैं। इतने अवसर दिये जाने के बाद भी वकील वादिनी ने तलबी प्रतिवादी संख्या 6/2018 व 10/2018 हेतु सम्मन तलबाना नहीं पेश किये हैं। उनका यह कृत्य वाद को नहीं चलाये जाने की उनकी रुचि को जाहिर करता है। वर्तमान मे प्रचलित न्यायिक सिद्धान्तो के अनुसार वाद को सिद्ध करने व वाद की विधिक प्रक्रियाओं की पूर्ति का पूर्ण दायित्व वादी का होता है। अतः उक्त परिस्थिति मे दावा वादी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत प्रावधानो के आधार पर अदम तामील / और कम्प्लायंस मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।